International Journal of Education and Science Research Review
E-ISSN 2348-6457
Volume-9, Issue-1 Jan-Feb-2022
P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org
Email- editor@ijesrr.org

भारत में बडती जनसंख्या कामकाजी महिलाओं के लिये बनी समस्या का अध्ययन

मोहन सिंह जाट
पद सहायक आचार्य, विषय राजनीति विज्ञान
अग्रसेन महिला पी. जी. महाविद्यालय खेरली, अलवर

सारांश, 2011 की जनगणना में कमिश्नर की रिपोर्ट के अनुसार शहरों व गाँवों दोनों में ही घर की चार दीवारी से बाहर आकर काम करने वाली महिलाओं की संख्या में उल्लेखनी वृद्धि हुई है। 1971 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देश की कुल कार्य शक्ति में 13% महिला श्रमिक थीं यह प्रतिशत 1981 में 25.89 और 1991 में 28.57 हो गया है। यह संख्या 2001 की जनगणना में भी बड़ी है और अब प्रश्न यह है कि महिलायें रोजगार क्यों ढूंढती हैं। महिलाओं में रोजगार के लिये प्रेरणा पुरुषों से भिन्न होती है स्पष्टीकरण तो है धन की आवश्यकता लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता है कि सभी महिलायें धन के ही कारण नौकरी करती है एक अध्ययन में 728 कामकाजी महिलाओं के अध्ययन में नौकरी करने के प्रमुख कारण

मुख्य शब्द कामकाजी महिला, शिक्षा, रोजगार, राजनैतिक भागीदारी आदि ।

प्रस्तावना, इस प्रकार पाये गये पति के अपर्याप्त वेतन के कारण, पति की मृत्यु, पति की बीमारी, पति के सहारा न देने के कारण, पति द्वारा परित्याग तथा घर से बाहर काम करने को वरीयता देने के कारण और आजकल महिलाओं की आवश्यकता कुछ मनुष्यों की सीमा से ज्यादा होती जा रही है।[1] इसीलिये महिलाओं को नौकरी करनी पड़ती है। यदि मोटे तौर पर कहा जाये तो 89.0 प्रतिशत महिलायें अधिक आवश्यकताओं के कारण ही नौकरी करती हैं।[2] उपर्युक्त विचार धाराओं की पृष्ठभूमि में यह कहा जा सकता है कि भारत में स्त्रियों की स्थिति में 1950 के बाद से पर्याप्त सुधार हुआ है। संरचनात्मक तथा सांस्कृतिक दोनों ही प्रकार के परिवर्तनों ने महिलाओं को न केवल शिक्षा रोजगार तथा राजनैतिक भागीदारी में समान अवसर प्रदान किये है बल्कि महिलाओं के शोषण को भी कम किया है तथा उन्हें अपने संगठन बनाने के अवसर प्रदान किए है जिससे वह अपनी समस्याओं को अधिक अच्छी तरह से सुलझा सकें इसीलिये महिलाओं के निम्न स्तर के कारणों के अध्ययन एवं प्रत्येक क्षेत्र में उनके अधिकरों की रक्षा करने के उद्देश्य से केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों ने विविध कमीशनों की नियुक्ति की है। 31 जनवरी 1992 को महिलाओं के लिये राष्ट्रीय

Volume-9, Issue-1 Jan-Feb-2022 E-ISSN 2348-6457 P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org Email- editor@ijesrr.org

कमीशन का गठन किया गया जिसका उद्देश्य था महिलाओं से संबंधित मामलों को देखना महिलाओं के स्तर की जाँच करना विविध विधानों का अध्ययन करना तथा उनमें कमजोर बिन्दुओं व खमियों की ओर संकेत करना महिलाओं के प्रति किये गये भेदभाव व हिंसा के कारणों का पता लगाना तथा संभावित उपायों का विश्लेषण करना है। आज संसद में महिलाओं का 50 प्रतिशत आरक्षण देने के लिये केन्द्रीय सरकार बिलकुल भी गम्भीर नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता किइस आरक्षण से महिलाओं का जरा सा भी भला होगा क्योंकि आज तक किसी भी सरकार का ध्यान गरीब अशिक्षित बेरोजगार महिलाओं की ओर नहीं जाता क्या एक प्रोफेसर महिला से एक मजदूरी करने वाली महिला की तुलना सम्भव है नहीं इसीलिए आज की सरकारों को महिलाओं के लिये ऐसे नियम पारित करने चाहिये जिससे उनके द्वारा घर में किये जाने वाले काम को जोड़ा जा सके इसका अर्थ यह है कि महिलाओं को कम से कम समय में बड़ा रोजगार सम्भंव ना हो तो उनके योग्यता के आधार पर रोजगार देना चाहिये जिससे एक महिला अपने जीवन में अपने बच्चों को शिक्षित कर सकें। आज भी भारतीय महिला आर्थिक रूप से पुरूष के प्रभुत्व से मुक्त नहीं है।[3] इसी के साथ–साथ कामकाजी महिलाओं में काम पर जाने से जो गुराईयाँ परिवारों में आती है उन सबको भी यहाँ उजागर करना महत्वपूर्ण हो जाता है जैसे अनेक बाल अपराधी ऐसे पाये गये है जिनकी माताएँ घर से बाहर नौकरी करती है। माताओं के बहार जाकर काम करने से बच्चों की देख–रेख उचित रूप से नहीं हो पाती और वे गली कूचे के बुरे लोगों के साथ पड़कर तरह–तरह से बिगड़ जाते हैं और अपराध में प्रवृत्त हो जाते हैं। एक विद्वान के अनुसार जब महिलाऐं प्रतिदिन घर से बाहर रहती है चाहे काम करने के लिये या फिर कुछ और काम करने के लिये तो निश्चत ही परिवार का संगठन बिड़ता है और बच्चे बरबाद होते हैं।[4] अन्य और लेखकों ने भी इसी मत को और भी रोचक रूप में प्रस्तुत किया है। ‘‘जब पिता रात में ड्यूटी देते है और माता दिन में अथवा दोनों रात या दिन में ड्यूटी देते है तो बच्चे प्रायः रास्ते पर ही ड्यूटी देते हुए मिलते हैं।[5] इसी प्रकार बच्चों की नौकरी विशेषकर सड़कों पर वस्तुऐं बेचने का काम और मिलों या कारखानों में काम करना, उनके वैवाहिक तथा शरीरिक स्वास्थ्य के लिये हानिप्रद होता है बच्चों के नौकरी करने से उनकी शिक्षा रूक जाती है और शिक्षा के अभाव के कारण वे कुशल श्रमिक नहीं हो पाते हैं। इससे भविष्य में उनकी आय कम होती है, उन्हें निर्धनता घेरती है और वे समाज विरोधी कार्य करने लगते हैं।[6] आज गाँवों में दस में से केवल एक महिला ही कामकाजी है तथा आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र है और दूसरी ओर कामकाजी महिलाऐं भी ग्रह कार्य तथा ग्रहस्थी निर्माता के रूप में अपनी भूमिका का मूल्यांकन उतनी ही सापेक्षता से करती है जितनी कि घरेलू महिलाऐं। एक अन्य मत के आधार पर कामकाजी महिलाओं में से नौ अपनी आमदनी से

असंतुष्ट होती है। यह असंतोष कार्य के विचार से उतना नहीं होता जितना कि कार्य दशाओं या पारिश्रमिक से ही होता है। जो महिलाऐं अपने परिवार की अर्थव्यवस्था में योगदान करती है वे अपनी आय को अपनी इच्छा से व्यय करने के लिए स्वतंत्र नहीं होती।[7] अब कामकाजी महिलाओं के दूसरे रूप की बात करते हैं। कि कामकाजी महिलाओं को पुरूष प्रधान समाज में किस दृष्टि से दखा जाता है स्वतंत्रता के बाद जिस तेजी के साथ समाज का परिदृश्य बदला है उसी तेजी के साथ भारतीय महिलाओं की प्रतिस्थिति भी बदली है जिस तन्मयता एवं लगन के साथ कामकाजी महिलाओं को शिक्षा के प्रसार ने उन्हें उन्मुक्त वातावरण की ओ मोड़ दिया है। आज भारतीय महिलाऐं शासक भी है वैज्ञानिक भी रातनीति की अगुआई करने वाली भी है और राजनीति पर कटाक्ष करने वाली प्रबुध पत्रकार लेखिका/कवियित्री भी आज डाक्टर इन्जीनियर, समाज सुधारक शिक्षा शास्त्री, सांस्कृतिक कलाओं की प्रणेता, बुद्धिजीवी, व्यवसायी हर क्षेत्र में उसने अपना वर्चस्व स्थापित किया है। यही कारण है कि आज उसकी सामाजिक स्थिति में तेजी के साथ बदलाव हुआ है। आज सार्वजनिक कार्यों में वह पुरूषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चलती है आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका अतुलनीय है विभिन्न उद्योग धंधों व व्यवसायें में प्रवेश कर उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है।[8] फ्रांस के किसी लेखक ने लिखा है कि किसी भी देश की स्थिति को देखने का सबसे श्रेष्ठ उपाय उस देश की महिलाओं की स्थिति का पता लगाना है भारत में पिछले सैंकड़ों वर्षों से महिलाओं की स्थिति कानूनी सामाजिक या सार्वजनिक जीवन में किसी भी दृष्टि कोण से अच्छी नहीं रही। हाल ही के वर्षों में राजनैतिक व मानवीय गतिविधियों के अन्य क्षेत्रों में उन्होंने प्रगति की है मुझे प्रसन्ता है कि हमारी संसद ने भी हाल के वर्षों में कुछ विधान पारित किये हैं जिन्होंने महिलाओं को कानूनी रूप से कई बन्धनों से मुक्ति दे दी है तथा इस प्रकार महिलाओं की स्थिति को अच्छी बनाने में मदद पहुँचाई है फिर भी अभी कई बाधयाँ हैं जिन्हें दूर करना है।[9]

स्वामी विवेकानन्द ने भारतीय महिला के बहुपक्षीय विकास की तरफदारी की है वे महिला शिक्षा के हिमायती थे वे चाहते थे कि स्त्रियों को ऐसी शिक्षा मिले जो उन्हें अधिकाधिक स्वावलम्बी बना सके वे महिलाओं को धर्म, शिल्प, विज्ञान, गृहकार्य, स्वास्थ्य सुरक्षा सोन, पिरोना, आदि विषयों को सिखाने की बात करते थे वे चहाते थे कि भारतीय महिला नाटक/कहानी उपन्यासों की जगह धार्मिक कथाओं की पुस्तकें पढ़ें ताकि उनके अन्दर आत्मबल का विकास हो वे कहते थे कि अगर महिला शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ तो देश उन्नति नहीं कर सकता वे कहते थे।[10] कि ''हम चहाते है कि भारत की स्त्रियों को ऐसी शिक्षा दी जाये, जिससे वे

निर्भर होकर भारत के प्रति अपने कर्तव्य को भली–भाँति निभा सकें और संघमित्रा अहिल्याबाई और मीराबाई आदि भारत की महान देवियों द्वारा चलाई गई परम्परा को आगे बढ़ा सकें। विवेकानन्द का मानना था कि महिला शिक्षा ही उन्हें आत्म रक्षा और आत्मबल उत्पन्न कर सकती है।[11]

इस तरह विवेकानन्द ने भारतीय महिला के उत्थान में अहम भूमिका निभाई है। आज अधिकतर महिलाओं को स्वार्थी मनुष्यों ने सिर से लेकर पैरों तक नाथ रखा है और हर नथ के पीछे एक डरावनी कथा खड़ी कर दी है। जैसे मंगलसूत्र, सिन्दूर, बीक्षिया आदि कोई विवाहित स्त्री इनमें से किसी का भी त्याग करती है तो यह उसके पति की मृत्यु का कारण हो सकता है ऐसे ही अनेक वृत महिलायें अपने पति के लिये करती है क्या कोई पति अपनी पत्नी के लिये कोई वृत करता है। ऐसा क्यों होता है कहा नहीं जा सकता और ना ही मनुष्यों से किसी भी स्थान पर यह पूछने का सहास कोई कर पाता है।[12]

निष्कर्ष

स्वामी विवेकानन्द ने कहा है कि भारत तुम मत भूलना कि तुम्हारी महिला का आदर्श सीता, सावित्री, दयमन्ती हैमत भूलना कि तुम्हारे उपास सर्व त्यागी उमानाथ शंकर मत भूलना कि तुम्हारा विवाह, तुम्हारा धन और तुम्हारा जीवन इन्द्रिय सुख के लिये है। अपने व्यक्तित्व सुख के लिये नहीं है मत भूलना कि तुम्हारा समाज उस विराट महामाया की है।'महिला उत्थान के लिये आजादी के बाद डॉ० भीमराव अम्बेडकर जी ने हिन्दू कोड बिल लाकर यह कानून बनाया कि कोई पति अपनी पहली पत्नी के रहते और पत्नी पहले पति के रहते विवाह करेगा तो उसे कानूनी दण्ड मिलेगा इससे पहले हिन्दू धर्म ग्रन्थों में पुरुषों को एक ही समय में अनेक पत्नियाँ रखने की छूट थी। यदि कोई पुरुष इस कोड के अधीन एक पत्नी के रहते बहु–विवाह करेगा तो वह विवाह नाजायज होगा और उसे इस कुकर्म के लिए। कानूनी दण्ड भोगना पड़ेगा। लेकिन समाज में यह कानून आज तक पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया है। क्योंकि इसके पारित ना होने के पीछे धार्मिक कट्टरता के मनुष्य रहे है।

संदर्भ सूची :–

1. The Hindustan Times, April 06 1993 p 23

2. राम आहुजा : भारतीय सामाजिक व्यवस्था प्रकाशक शवत पब्लिकेन जयपुर एवं नई दिल्ली वर्ष 1995 प्र 56

3. वही, पृ० 94

4. प्रो० बोगार्डस के मत के आधार पर प्र 32

5. With the father or a night shift and or a day shift or both or day or night shift. Children were ofter or the street shift Neumeyer p23

6. आर० एन० मुखर्जीः भारतीय समाज पृ० 409

7. राम आहुजाः भारतीय सामाजिक व्यवस्था पृ० 123

8. डॉ० प्रीति मिश्राः हिन्दू महिलाओं के जीवन में धर्म का महत्व पृ० 55–56, (प्रकाशन अर्जुन पब्लिशिंग हाउस 4831/24 प्रहलाद गली रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली प्र 78

9. K.M. Kapadia, P 252

10. Radha Kunud Mukherjee, Winner of India,p. 03

11. डॉ० प्रीति मिश्रा : हिन्दू महिलाओं के जीवन में धर्म का महत्व पृ० 51

12. सोहन लाल शस्त्री : हिन्दू कोड बिल और डॉ० भीमराव अम्बेडकर पृ० 51